न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 77/15

जीसीएमएस संख्याः 2015/00266

निर्णय दिनांकः– 5-1-26

1. मानाराम
2. सुरजाराम
3. लिछ्मणराम
4. मामराज
5. मोहनराम
6. परमेश्वरी
7. नोरा
8. रामी
9. चुन्नी
10. कुन्नी

पिसरान स्व. मूलाराम जाति जाट निवासी लाछडसर तहसील राजगढ जिला चुरू।

11. सावित्री पत्नी नोंरगाराम पुत्र मूलाराम जाट साकिन लाछडसर।
12. इन्द्रचन्द
13. सुगनाराम
14. पपुदेवी

पिसरान स्व. मूलाराम जाति जाट निवासी लाछडसर तहसील राजगढ जिला चुरू।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 21–07–2015
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–07–2015 जिसके द्वारा अपीलांट्स का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम राजपुरा हुडान के गत् खसरा नम्बर 38/218 तादादी 33 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 200 तादादी 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि पैमूद हुए है, उक्त भूमि अपीलांट्स के पिता एवं दादा मूलाराम के के कब्जे काश्त की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से अर्थात संवत् 2012 से ही कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसका लगान आदि अपीलांट्स के दादा द्वारा तात्कालिन खजानाराज को जमा करवाया जाता रहा है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड संवत् 2012 से पूर्व नहीं बनाया जाता था तथा सर्वप्रथम संवत् 2012 में जागीर रिज्यूम होने पर समरी रिकार्ड बनाया गया। तत्समय अपीलांट्स के दादा का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने व उनके द्वारा लगान अदा करने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी व अन्य राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावारियॉ आदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर अपीलांट्स के वादपत्र को खारिज कर दिया गया। जबकि दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से अपीलांट्स का वादपत्र साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है।

उन्होनें आगे कथन किया कि आराजी जैर के पूर्ववर्ती रिकार्ड में अपीलांट्स के पिता/दादा का नाम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा था, परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबन्ध आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स के पिता/दादा का नाम विलोपित करते हुए वादग्रस्त भूमि को राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड कर दिया गया है। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को उपरोक्त परिवर्तन के अधिकार हासिल नहीं थे, भू–प्रबन्ध विभाग को दौराने भू–प्रबन्ध केवल मात्र पूर्व के इन्द्राज को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दौहराने की शक्तियॉ ही प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के पूर्ववर्ती रिकार्ड में परिवर्तन किया जाना स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के पिता/दादा के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। जिसे दुरूस्त करवाने के अधिकार अपीलांट्स रहे है।

प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे काश्त के संबंध में राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी संवत् 2019 ता 2025 एवं ढालबांछ संवत् 2014 ता 2024 प्रस्तुत किये गये थे, जिसे यह जाहिर था कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के पिता/दादा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक से निरन्तर कब्जा काश्त रहा है तथा उपरोक्त विधिक प्रावधानों के तहत अपीलांट्स आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों के मुश्तहक होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के अधिकारों को सरसरी तौर पर समाप्त कर दिया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया था कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज किये जाने बाबत् कोई सक्षम अधिकारी का आदेश है अथवा नहीं? एवं इसी अनुरूप वादग्रस्त भूमि के पूर्ववर्ती रिकार्ड में अपीलांट्स के पिता/दादा का नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड होने एवं दौराने भू–प्रबन्ध रिकार्ड की पुनरावर्ती किये जाने की स्थिति में अपीलांट्स के पिता/दादा का नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज होने के बिन्दु के संबंध में किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं किये जाने के आधार पर प्रकरण रिमाण्ड किय गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते हुए न्यायालय हाजा की उपरोक्त आज्ञापक व्याख्या के संबंध में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के पिता/दादा के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने की दिनांक से ही कब्जे काश्त की भूमि रही है ऐसी स्थिति में अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि के बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ (कानून संचालन की दिनांक से) आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों के मुश्तहक रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के उपरोक्त प्रावधानों की सही रूप से व्याख्या नहीं करते हुए अपीलांट्स को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। अतः

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट्स/वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र का निस्तारण राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् गुणावगुण पर करते हुए आराजी जैर पर अपीलांट्स के अधिकार उत्पन्न नहीं होने के आधार पर वादपत्र को खारिज किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स/वादीगण को अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करना चाहिए था, परन्तु अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक को कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादपत्र को विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है। लिहाजा अपीलांट्स किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट्स की अपील खारिज किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स/वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत वादग्रस्त भूमि ग्राम राजपुरा हुडान के गत् खसरा नम्बर 38/218 तादादी 33 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 200 तादादी 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि पैमूद हुए के संबंध में दावा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के पिता/दादा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक से कब्जा काश्त रहने की स्थिति में अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों के मुश्तहक रहे है। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरियॉ संवत् 2019 ता 2022 एवं संवत् 2023 ता 2025 एवं इसी क्रम में ढालबांछ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

संवत् 2014, 2015, 2021 ता 2024 आदि प्रस्तुत किये गये है। अपीलांट्स द्वारा उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आराजी जैर पर खातेदारी अधिकारों की मांग वादग्रस्त भूमि पर संवत् 2012 से पूर्व कब्जे काश्त के आधार पर की गई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात् जिसके माध्यम से अपीलांट्स/वादीगण वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों के मुश्तहक है अथवा नहीं? प्रश्न का निर्धारण किया जाना था, उपरोक्त तनकीयात् को साबित करने का भार अपीलांट्स/वादीगण पर था। अपीलांट्स वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अर्थात संवत् 2012 या उससे पूर्व का कोइ राजस्व रिकार्ड आराजी जैर पर कब्जे काश्त के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि वादगत् भूमि संवत् 2012 से पूर्व अपीलांट/वादीगण के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने व कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट्स/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए, कायम की गई तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए, स्टेट का जवाब आदि लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21–07–2015 उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 5-1-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर